भूलेख - खतौनी
राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश

15/July/2025 03:55:38 PM

अप्रमाणित प्रति

जनपद : गाजियाबाद **तहसील :** गाजियाबाद **ग्राम :** नूरनगर

ग्राम कोड : 216964 **फसली वर्ष :** 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025) **खाता संख्या :** 01432

श्रेणी : 1-क/भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।

	खातेदार का विवरण	खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	**(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)**	**(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार**	**(4) वर्ष**	**(5) गाटा (यूनीक कोड)**	**(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)**	**(7) हिस्से में**	**(8) क्षेत्रफल में(हे०)**	**(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व**
1265मि	1) गाजियाबाद / विकास प्राधिकरण / गाजियाबाद	1) अन्य / खतौनी नं०-1 / 14-08-2013 / अधिग्रहण	1420फ	**1265मि (216964126520021 2)**	0.3932	1) - 2) 1/1	1) 0.0000	16.80

2) मै.कृष्णा एस्टेट डवलपर्स प्रा.लि. / आफिस एम-6आदित्य कारप्रेट हब आर.डी.सी.राजनगर,गा.बाद / द्वारा डायरेक्टर सौरभ त्यागी पुत्र सतीश त्यागी नि.उक्त 3) मैसर्स बार्टन्स डवलपर्स प्रा0 लि0 / डायरेक्टर हर्ष त्यागी पुत्र मुकेश त्यागी / आॅफिस न्याय खण्ड थर्ड/123-124 इन्दिरापुरम गाजियाबाद	2) राजस्व न्यायालय (तहसीलदार) / T202111280111277 / 26-03-2022 / विक्रय	3) -	2) 0.3932 3) 0.0000
			0.3932

कुल गाटे : एक

कुल क्षेत्रफल : शून्य दशमलव तीन नौ तीन दो (हेक्टेयर)

कुल भू-राजस्व : एक छह दशमलव आठ शून्य रुपये

कुल अंश का क्षेत्रफल : शून्य दशमलव तीन नौ तीन दो (हेक्टेयर)

अप्रमाणित प्रति

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल(हे०)	(14) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल(हे०)
1) अन्य / खतौनी नं०-1 / 14-08-2013 / अधिग्रहण / ROOP CHANDA () / 18-02-2023 2) राजस्व न्यायालय (तहसीलदार) / T202111280111277 / 26-03-2022 / विक्रय / ROOP CHANDA () / 18-02-2023			1.1) गाजियाबाद / विकास प्राधिकरण / गाजियाबाद 2.1) मैसर्स बार्टन्स डवलपर्स प्रा0 लि0 / डायरेक्टर हर्ष त्यागी पुत्र मुकेश त्यागी / आॅफिस न्याय खण्ड थर्ड/123-124	1265मि (2169641265200212)	1.1) 0.0000 2.1) 0.0000	

अप्रमाणित प्रति

इन्दिरापुरम
गाजियाबाद

1) कुर्की: 1430-फ कार्यालय तहसीलदार गाजियाबाद के पत्रांक सं० 114/वा०वा०नं० /2022- 23 दिनांक 07.02.2023 के क्रम में मै० कृष्णा एस्टेट डवलपर्स प्रा०लि० स्थित राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद के विरूद्ध भू० सम्पदा/ रेरा देय के प्राप्त विभिन्न वसूली मांग पत्रो की बकाया का भुगतान न करने पर उपजिलाधिकारी महोदय गा०बाद के आदेशानुसार खसरा सं० 1264 व 1265 रकबा कुल रकबा 7502 वर्ग मी० स्थित ग्राम नूरनगर परगना लोनी जिला गाजियाबाद की कुर्की कर राजस्व अभिलेखो में दर्ज इन्द्राज कराया गया था । उपजिलाधिकारी महोदय गा०बाद द्वारा फर्म निदेशक श्री सौरभ त्यागी पुत्र सतीश त्यागी नि० डी 5 सै० 9 न्यू विजयनगर गाजियाबाद के प्रार्थना पत्र एवं क्षेत्रीय संग्रह अमीन की आख्यानुसार फर्म की आंशिक अचल सम्पत्ति खसरा सं० 1265 रकबा 1913.56 वर्ग मीटर स्थित ग्राम नूरनगर (विक्रीय भूमि) को अपने आदेश दिनांक 06.02.2023 के अन्तर्गत सशर्त कुर्क मुक्त करने हेतु अनुमोदन किया गया है उक्त के क्रम में खाता सं० 1432 खसरा सं० 1265मि. रकबा 1913.56 वर्गमीटर स्थित ग्राम नूरनगर (विक्रीय भूमि) की खतौनी साल 1427 से 1432 फ० संलग्न कर इस निर्देश के साथ भेजी जा रही है कि तदानुसार आंशिक अचल सम्पत्ति खसरा सं० 1265 रकबा 1913.56 वर्गमीटर स्थित ग्राम नूरनगर (विक्रीय भूमि) को कुर्की मुक्त करते हुए शेष को पूर्व की भांति कुर्क रखा जाऐं। ह.अ.र.का.। (**डिजिटल हस्ताक्षर:** ROOP CHANDA / 04-03-2023)

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या

(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक))

(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण :
1) 1421-फ. न्यायालय उपजिलाधिकारी/ सहा0कले0 (प्रथम श्रेणी) गा.बाद वाद स. 131/12-13 धारा 143 उ0प्र0 ज0वि0 अधि0 ग्राम नूरनगर परगना डासना तहसील व जिला गाजियाबाद मै.कृष्णा एस्टेट डवलपर्स बनाम उ0प्र0 सरकार आदेश दि. 23.9.13- ग्राम नूरनगर की खतौनी वर्ष 1415 ता. 1420फ. के खाता न.569 के खसरा न.1265मि. रकबा 0.446 है. पर वादी के स्वामित्व की संक्रमणीय भूमि को तहसीलदार गा.बाद की आख्या शासनादेशो के क्रम में स्टाम्प अपवचना रोक ने के उद्देश्य से इस प्रतिबन्ध के साथ कि विकास प्राधिकरण अथवा स्थानीय निकाय के विकास एव निर्माण व भू-उपयोग परिवर्तन तथा भूमि अर्जन अधिनियम 1894 (अधिनियम सं. 1 सन 1984) की धारा 4 की उपधारा (1) सम्बन्धी प्राविधान पूर्व की भांति यथावत लागू रहेगे, अकृषिक घोषित किया जाता है ।एसडी0 केश कुमार उपजिलाधिकारी गा.बाद । ह.अ.र.का. 28.12.13 ।

अप्रमाणित प्रति

2) 1427-फ कार्यालय तहसीलदार गाजियाबाद पत्रांक 683/वा०बा०न० - वसूली अमलदरामद /2017 दिनांक 11.12.19 उपजिलाधिकारी गाजियाबाद के आदेश दिनांक 15.11.19 के अन्तर्गत बाकीदार मै० कृष्णा एस्टेट डवलपर्स प्रा०लि० की अचल सम्पत्ति खसरा सं० 1264, 1265 स्थित ग्राम नूरनगर को रेरा देय की बकाया अंकन रू 1181389 /- रू जमा अन्य में कुर्क कर लिया गया है। ह०अ० तहसीलदार गाजियाबाद । ह.अ.र.का.।

3) 1428-फ कार्यालय अपर जिलाधिकारी (भू0अ0) सिंचाई गाजियाबाद पत्राक 973/ आठ - अ0जि0अ0 / भू0अ0 /सि0 गा0बाद दिनांक 02.07.2020 - - रूप पत्र- 2, (संशोधित परवाना अमलदरामद), भूमि अध्याप्ति वाद संख्या 2 सन 2011 में उ0प्र0 शासन आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 द्वारा जारी भूमि अर्जन अधिनियम 1894 यथा संशोधित 1984 की धारा 6 की विज्ञप्ति संख्या 1689/8-3-13-84 एल0ए0 13 लखनऊ दिनांक 14.08.2013 के अनुसार भूमि के अर्जन उपरान्त निम्नलिखित कृषकगणो की भूमि पर दिनांक 10.01.2014 को उत्तर प्रदेश सरकार (गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद) विभाग को कब्जा दिया जा चुका है । अब भू-अभिलेखो आदि मे उपरोक्त राजकीय सम्पत्ति का अमलदरामद होना आवश्यक है । पूर्व में जारी परवाना अमलदरामद को निम्न तालिका के अनुसार संशोधित किया जाता है । ग्राम नूरनगर, तहसील व जिला गाजियाबाद , क.स. 52, कृषक का नाम - मैसर्स कृष्णा एस्टेट डवलपर्स प्रा०लि० आफिस एम 6 सेकण्ड फ्लोर आदित्य कारप्रेटहब आर०डी०सी० राजनगर गा0बाद डायरेक्टर सौरभ त्यागी पुत्र सतीश त्यागी निवासी उक्त, खतौनी न.- 569, खसरा न. 1265मि०, अध्याप्ति भूमि का क्ष्ेात्रफल 0.0582 है., मालगुजारी जो कम की जायेगी- 5.18 रू, अर्जन निकाय- गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद । ह.अ.र.का. 29.07.20 ।

4) 1429-फ कार्यालय तहसीलदार गाजियाबाद पत्रांक 762/वा०बा०न० वसूली अमलदरामद /2021 दिनांक 13.12.2021 उपजिलाधिकारी गाजियाबाद में आदेश दिनांक 01.11.2021 के अन्तर्गत बाकीदार मै० कृष्णा एस्टेट डवपलर्स प्रा०लि० सम्पत्ति ग्राम नूरनगर गाजियाबाद की अचल सम्पत्ति के खसरा न० 1264, 1265 को रेरा देय की बकाया अंकन 25934131/- रू में कुर्क कर लिया गया है। ह.अ.र.का.।

5) 1429-फ आदेश श्रीमान तहसीलदार गाजियाबाद मिसल नम्बर T202111280111277 दिनांक 26.03.2022 को आदेश हुआ कि खाता न0 1432 के खसरा न0 1265 रकबा 0.0918है0 मा0गु0 परतानुसार से विक्रेता मैसर्स कृष्णा एस्सेटस डवलपर्स प्रा0 लि0 आॅफिस एम 6 सैकिण्ड फलोर आदित्य कारपोरेट हब आर डी सी राजनगर गाजियाबाद द्वारा डायरेक्टर सौरभ कुमार पुत्र सतीश त्यागी निवासी डी 5 सैक्टर 9 विजय नगर गाजियाबाद का नाम खारिज करके क्रेता मैसर्स बार्टन्स डवलपर्स प्रा0 लि0 आॅफिस न्याय खण्ड थर्ड/123-124 इन्दिरापुरम गाजियाबाद द्वारा डायरेक्टर हर्ष त्यागी पुत्र मुकेश त्यागी निवासी चौधरी चौक वाझीलपुर हापुड का नाम बतौर बैनामा दिनांक 15.11.2021 के आधार पर दर्ज होवे। ह.अ.र.का. 26.03.2022 ।

6) 1429-फ न्यायालय तहसीलदार गाजियाबाद वाद संख्या T202111280111277, अन्तर्गत धारा 35 उ0प्र0 रा0 संहिता 2006, ग्राम नूरनगर, मैसर्स बार्टन्स डवलपर्स प्रा0लि0 बनाम मैसर्स कृष्णा एस्टेट डवलपर्स प्रा0लि0 आदेश दिनांक 04.04.22 - - ग्राम नूरनगर के खाता संख्या 1432 पर दर्ज खसरा न0 1265 कुर्क होने के कारण पूर्व पारित नामान्तरण आदेश दिनांक 26.03.2022 निरस्त किया जाता है। ह.र.का. ।

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।

अप्रमाणित प्रति

Disclaimer: उक्त आँकडे मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

अप्रमाणित प्रति

कार्यालय तहसीलदार गाजियाबाद।

प0सं0 — 45 / वा0वा0न0 / 2022—23 दिनांक— 07/2/2023

रजिस्ट्रार कानूनगो (भूलेख अनुभाग),
तहसील— गाजियाबाद।

मै0 कृष्णा एस्टेट डवलपर्स प्रा0लि0 स्थित राजनगर एक्सटेंशन गाजियाबाद के विरुध्द भू—सम्पदा / रेरा देय के प्राप्त विभिन्न वसूली मांग—पत्रों की बकाया का भुगतान न करने पर, उप—जिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद के आदेशानुसार खसरा सं0 खसरा संख्या 1264 व 1265 रकबा कुल रकबा 7502 वर्गमीटर स्थित ग्राम नूरनगर परगना लोनी तहसील व जिला गाजियाबाद की कुर्की कर, राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज कराया गया था।

उप—जिलाधिकारी महोदय गाजियाबाद द्वारा फर्म निदेशक श्री सौरभ त्यागी पुत्र श्री सतीश त्यागी नि0 डी—5 सैक्टर—9, न्यू विजयनगर गाजियाबाद के प्रार्थना—पत्र एवं क्षेत्रीय संग्रह अमीन की आख्यानुसार फर्म की **आंशिक अचल सम्पत्ति ख0सं0 1265 रकबा 1913.56 वर्ग मीटर स्थित ग्राम नूरनगर (विकीत भूमि) को अपने आदेश दिनांक 06—02—2023 के अंतर्गत सशर्त कुर्कमुक्त करने हेतु अनुमोदन किया गया है।**

उक्त के कम में खाता संख्या 01432 खसरा संख्या 1265 मि0 रकबा 1913.56 वर्ग मीटर स्थित ग्राम नूरनगर (विकीत भूमि) की खतौनी साल 1427 से 1432 फसली संलग्न कर इस निर्देश के साथ भेजी जा रही है कि तदानुसार **आंशिक अचल सम्पत्ति ख0सं0 1265 रकबा 1913.56 वर्ग मीटर स्थित ग्राम नूरनगर (विकीत भूमि) को** कुर्कीमुक्त करते हुए, शेष को पूर्व की भांति कुर्क रखा जाना सुनिश्चित करें।

07/2/23

तहसीलदार,
गाजियाबाद।

श्रीमान जी,

संलग्न पत्रांक GDA/BP/21-22/1005/NOC फाईल नंबर GDA/BP/2021-22/1005 दिनांक 19.09.2022 विकासकर्ता द्वारा अनापत्ति प्राप्त करने विषयक है।

जाँच आख्या निम्न प्रकार से है। ग्राम रतनल प० लोनी तह० व जिला गा० बाद के खसरा सं० 1265 का कुल रकबा 0.6690 हैक्टेयर है जिसमें विकास कर्ता ने बैनामों द्वारा रकबा 995.28 वर्ग मी व 918.72 वर्ग मीटर कुल रकबा 1914.00 मीटर क्रय किया है भूमि खसरा नं 1265 सम्पूर्ण भूमि खाते सरकारी नहीं है, विकासकर्ता की भूमि खसरा नं० 1265 में नाली/चकरोड नहीं है मै० ग्रेस रियलटेक डवलपर्स प्रा० लि० रजि० आफिस डी.डी. 186/A कविनगर गाजियाबाद व मै० प्लेटिनम डवलपर्स प्रा० लि० पता न्याय खण्ड-III/123-124, इंदिरापुरम गा०बाद के मध्य कन्सोडियम एग्रीमेन्ट किया गया है। बैनामा व एग्रीमेंट की छायाप्रति संलग्न है।

महोदय,

चकबन्दी फार्म 41-45 की छायाप्रति, भार मुक्त प्रमाण पत्र खतौनी वर्तमान, व 1358 फसली व नक्शा नजरी की प्रति संलग्न है।

प्रा० लेo आख्या सादर प्रेषित

06/06/23

1355/RC-23

NT

आख्या सादर अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न

तहसीलदार
गाजियाबाद

संहित प्रस्तुत है
राम सिंह विरदी
लेखपाल
क्षेत्र-सिहानी

19.05.2023

महत्वपूर्ण / ई–मेल

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद, उ०प्र०,
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संख्याः 2117 / 12–एल(7) / 2023 दिनांकः 06.06.2025

विषय– **उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 की धारा 80 की घोषणा के बाद नामान्तरण आदेश पारित किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में परिषद के संज्ञान में आया है कि धारा–80 की घोषणा के बाद कतिपय जनपदों में तहसीलदारों द्वारा नामान्तरण आदेश पारित नहीं किया जा रहा है। उक्त के संबंध में उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 की धारा–83 एवं तद्विषयक नियमावली के नियम–93 में वर्णित प्रावधान निम्नवत है।

2– **उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 की धारा–83 निम्नवत् है:–**

2.1– धारा–83– घोषणा या रद्दकरण को अभिलिखित किया जाना–धारा 80 के अधीन प्रत्येक घोषणा को या धारा 82 के अधीन रद्दकरण को अधिकार अभिलेखों में यथाविहित रीति से अभिलिखित किया जायेगा और धारा 80 के अधीन घोषणा के बाद भी अन्तरण या उत्तराधिकार के आधार पर विहित रीति से नामान्तरण आदेश पारित किया जायेगा।

2.2– उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली–2016 का नियम 93–

नियम–93 उद्घोषणा अथवा निरस्तीकरण का दर्ज किया जाना (धारा–83)– धारा–80 के अन्तर्गत प्रत्येक घोषणा अथवा धारा 82 के अन्तर्गत निरस्तीकरण को अधिकार अभिलेख में दर्ज किया जायेगा और धारा–80 के अन्तर्गत घोषणा के बाद भी अन्तरण अथवा उत्तराधिकार के आधार पर नामान्तरण आदेश इस नियमावली के अध्याय पांच में विहित रीति से पारित किया जायेगा।

3– प्रस्तर–2 में **धारा–83 एवं नियमावली के नियम–93** से स्पष्ट है कि धारा–80 की घोषणा के बाद भी अन्तरण या उत्तराधिकार के आधार पर नामान्तरण आदेश पारित किये जाने का प्रावधान है।

4– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया संहिता की धारा–83 एवं नियमावली के नियम–93 में वर्णित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु समस्त संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

06/06/2025

(एस०वी०एस० रंगाराव)
आयुक्त एवं सचिव।

संख्या व दिनांक उपर्युक्त

प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्त, उ0 प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एस०वी०एस० रंगाराव)
आयुक्त एवं सचिव।